छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Kanpur University, Kanpur)
कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

परीक्षा समिति की 16वीं(आपात) बैठक दिन शनिवार, दिनांक 09.09.2023 कार्यवृत्त

आज दिनांक 09.09.2023, दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्य–परिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक ऑन–लाईन/ऑफ–लाईन माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे :–

क.सं.	नाम	पद
1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य/प्रति कुलपति, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 संदीप कुमार सिंह, आचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, डीन साइंस, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 नन्दलाल यादव, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 नीरज कुमार सिंह, आचार्य, आई0बी0एम0 विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
7.	प्रो0 वर्षा गुप्ता , आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
8.	डॉ0 अनुराधा कलानी,सह. आचार्य, लाइफ सांइस विभाग,सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
9.	प्रो0 वी0के0 कटियार, प्राचार्य, ब्रम्हावर्त डिग्री कॉलेज, मंधना, कानपुर नगर।	सदस्य
10.	प्रो0 विवेक कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
11.	डॉ0 प्रभात द्विवेदी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेज़मेन्ट, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
12.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
13.	डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
14.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
15.	राकेश कुमार, परीक्षा नियन्त्रक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	पदेनसचिव
16.	प्रो0 सुधान्शु पाण्डिया, आचार्य, एस.बी.एम., सी.एस.जे.एम. वि.वि.कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	डॉ. आर.के. द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0(श्रीमती) रोली शर्मा, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग,सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्या
20.	डा0 सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये–

मद संख्या 2023.16.01

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा शासन से प्राप्त पत्रांक 1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020 उच्च शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में उल्लिखित सुझावों का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के विभिन्न सेमेस्टरों का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :–

1. विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा चाहे वर्तमान में विषम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कुछ भी हो।
2. विद्यार्थी यदि प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर अथवा दोनों सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सका है परन्तु उसने प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को मिलाकर कुल आवश्यक क्रेडिट्स के न्यूनतम् 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिया हो तथा न्यूनतम सी.जी.पी.ए.–4 प्राप्त किया हो, को तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा।
3. विद्यार्थी यदि प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर अथवा तृतीय सेमेस्टर अथवा चतुर्थ सेमेस्टर अथवा चारों सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सका है परन्तु उसने प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को मिलाकर कुल आवश्यक क्रेडिट्स के न्यूनतम् 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिया हो तथा न्यूनतम सी.जी.पी.ए.–4 प्राप्त किया हो, को पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा।
4. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठवें सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने तथा न्यूनतम सी.जी.पी.ए.–4 होने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
5. विद्यार्थी द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठवें सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विषयों का बैकपेपर सम्बन्धित सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तक दिया जा सकेगा।
6. किसी वर्ष के दोनों सेमेस्टर को मिलाकर कुल आवश्यक क्रेडिट्स के न्यूनतम् 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण न कर पाने तथा न्यूनतम सी.जी.पी.ए.–4 प्राप्त न कर पाने की स्थिति में छात्र/छात्रा सम्बन्धित सेमेस्टर/सेमेस्टरों में भूतपूर्व छात्र/छात्रा के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का अध्यादेश निर्गत किये जाने तक अथवा अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी।

परीक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अध्यादेश का निर्माण किये जाने हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, प्रति–कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।
2. श्री राकेश कुमार, परीक्षा नियन्त्रक, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।
3. प्रो0 राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।
4. प्रो0 विपत्ति कटियार, प्राचार्य, ब्रम्हावर्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कानपुर।
5. प्रो0 अंशू यादव, निदेशक, एस.बी.एम., सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।
6. प्रो0 रोली शर्मा, अधिष्ठाता, अकादमिक, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.16.02

दिनांक 28.09.2023 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाले पदकों की सूची तथा वर्ष 2023 के पी0एच0डी0 शोधार्थियों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा दिनांक 28.09.2023 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाले पदकों की अनन्तिम सूची तथा वर्ष 2023 के 22 पी–एच0डी0 शोधार्थियों की सूची पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अन्य मद पर विचार

मद संख्या 2023.16.01–अ.म.

एलएल0बी0 / बी0ए0–एलएल0बी0 पाठ्यक्रम को पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित अधिकतम् अवधि के पश्चात् सम्बन्धित छात्र / छात्रा को बैकपेपर का एक अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

एलएल0बी0 / बी0ए0–एलएल0बी0 पाठ्यक्रम को पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित अधिकतम् अवधि के पश्चात् सम्बन्धित छात्र / छात्रा को बैकपेपर का एक अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 25.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत हैं :–

"समिति द्वारा विभिन्न छात्र / छात्राओं से प्राप्त आवेदनों का अवलोकन किया गया। छात्र / छात्राओं द्वारा एलएल.बी / बी0ए0एलएल.बी पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने की निर्धारित अधिकतम अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय के एलएल0बी0 पाठ्यक्रम के अध्यादेश के पैरा 7 के आलोक में स्पेशल बैक पेपर कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार एलएल.बी पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने की अधिकतम अवधि 06 वर्ष तथा बी0ए0एलएल.बी पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने की अधिकतम अवधि 08 वर्ष निर्धारित की गयी है तथा इसके साथ ही पैरा 7 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:–

The University will hold SPECIAL BACK PAPER Examination for LL.B. Sixth Semester students as soon as possible after the results of LL.B. Sixth Semester have been declared and the outgoing student of LL.B. Sixth Semester will be provided an opportunity to clear Back Papers in different semesters.

इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी संख्या 3448 / 2023 तनवीर इस्लाम सिद्दीकी एवं अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:–

*"…………8. Having heard learned counsel for the parties and having perused second part of Clause 7 for holding special back paper after declaring the result of LL.B. 6th semester, it can certainly be held applicable in cases where outer limit of six years has expired, otherwise there would be no purpose of permitting a student to clear all the back papers in all the semesters and the words used in the rule like **"outgoing student", "the special back paper", "as soon as possible after the results of LL.B. 6th semester have been declared",** would have no significance. Therefore, even after expiry of six years, as a special case, holding such kind of special back paper granting an opportunity to the concerned students, is permissible.*

9. The Court has to interpret all the relevant clauses and sub clauses of the Rules in such a way so as to advance justice to the students and not in a manner which may ruin their career.

10. This Court, by interim order dated 07.02.2023, permitted the petitioners to participate in the examinations. It has been informed to the court that the petitioners have been permitted to appear in the special back paper of 6th semester and, in case of one petitioner, his result has also been declared.

11. In view of the above discussion, the writ petition is allowed. The order impugned dated 09.01.2023 is quashed.

12. The University is directed to declare the result of all the petitioners within one month from today in the back papers in which they have been permitted under the interim order passed by this Court."

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश के पैरा 7 की व्याख्या करते हुये याची तनवीर इस्लाम सिद्दीकी एवं साथ अन्य को उनका एलएल.बी पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि 06 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी उनका स्पेशल बैक कराये जाने एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के आलोक में तथा छात्रहित में समिति द्वारा एलएल.बी एवं बी0ए0एलएल.बी पाठ्यक्रम के ऐसे समस्त छात्र/छात्रा जिनकी पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि सत्र 2021–22 में पूर्ण हो चुकी है, उन्हें एक अवसर प्रदान करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अगली सम्बन्धित सेमेस्टर की परीक्षा में बैक पेपर दिये जाने हेतु सम्मिलित कराये जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा एलएल.बी एवं बी0ए0एलएल.बी पाठ्यक्रम के अध्यादेश के निम्नलिखित पैरा को हटाने की संस्तुति की जाती है:–

LL.B. Course

The University will hold SPECIAL BACK PAPER Examination for LL.B. Sixth Semester students as soon as possible after the results of LL.B. Sixth Semester have been declared and the outgoing student of LL.B. Sixth Semester will be provided an opportunity to clear Back Papers in different semesters.

B.A.LL.B. Course

The university will hold SPECIAL BACK PAPER examination for B.A.LL.B. (Honors) Tenth semester students as soon as possible after the result of B.A.LL.B. (Honors) Tenth semester have been declared and the outgoing student of B.A.LL.B. (Honors) Tenth semester will be provided an opportunity to clear Back Papers in different semesters.

समिति द्वारा एलएल.बी एवं बी0ए0एलएल.बी पाठ्यक्रम के अध्यादेश में उल्लिखित प्रमोशन के अन्तिम पैरा के रूप में निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित करने की भी संस्तुति की जाती है:–

LL.B. Course

After the declaration of result of LL.B. Sixth Semester the students, completing the maximum duration to complete the course, shall be provided an additional opportunity to appear in next regular examination of corresponding semesters to clear all unclear papers.

B.A.LL.B. Course

After the declaration of result of B.A.LL.B. Tenth Semester the students, completing the maximum duration to complete the course, shall be provided an additional opportunity to appear in next regular examination of corresponding semesters to clear all unclear papers."

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त आख्या पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.16.02—अ.म.

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या—16027/2023 कमेटी ऑफ मैनेज़मेन्ट, कनकिनारा आर्य विद्यालय (हाई सेकेण्डरी स्कूल) व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय—

उपरोक्त याचिका कमेटी ऑफ मैनेज़मेन्ट, कनकिनारा आर्य विद्यालय (हाई सेकेण्डरी स्कूल) व एक अन्य द्वारा योजित की गयी है। उक्त याचिका द्वारा श्री अशोक प्रसाद पुत्र रामभजन राम निवासी— 36/1 एल0एन0 कविराज रोड, गोरिफा नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल की एम0ए0 की उपाधि प्राविधानानुसार होने के सम्बन्ध में आख्या की मांग की गयी है साथ ही श्री अशोक प्रसाद के एम0ए0 के अंकपत्र एवं उपाधि का सत्यापन कराये जाने की भी मांग की गयी है।

समिति द्वारा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्री अशोक प्रसाद द्वारा वर्ष 1990 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से दो वर्षीय बी0एस—सी0 पूर्ण करने के पश्चात् छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर से वर्ष 2001 में व्यक्तिगत छात्र के रूप में गणित विषय के साथ एम0ए0 पूर्ण किया गया है। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार तत्समय दो वर्षीय स्नातक पूर्ण होने के एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् एम0ए0 किये जाने का प्राविधान रहा है।

समिति की राय में श्री अशोक प्रसाद द्वारा व्यक्तिगत छात्र के रूप में वर्ष 2001 में पूर्ण की गयी एम0ए0 (गणित) की उपाधि विश्वविद्यालय के प्राविधानानुसार है। विश्वविद्यालय द्वारा श्री अशोक प्रसाद के एम0ए0 (गणित) के अंकपत्र एवं उपाधि का सत्यापन पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

अतः समिति द्वारा तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.16.03—अ.म.

छात्र सहायता प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किये जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय—

छात्र सहायता प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किये जाने वाली समस्त ऑन—लाईन/ऑफ—लाईन सेवाओं के सम्बन्ध में तैयार की गयी एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure 2023-SOP.V-1) पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

अन्त में सचिव द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

9/9/2023

(राकेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष